

142

श्री
रामल्य श्रीमान आयुक्त महोदय इन्दौर के समक्ष
प्रकरण क्रमांक 22/8/16
वैशी दिनांक

1. अब्दुल कलाम पिता अब्दुल रशीद
2. मोहम्मद अख्तर पिता मेहराब खां

9826088613
अपील - 5199-PB-16

सभी निवासी :- खरेली तह. सरदारपुर जिला धार

विरुद्ध

1. जानीबाई पति गंगाराम जाट
2. गुलाब पिता नानूराम जाट व अन्य

...वादीगण
कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री राममूर्ति वैष्णव
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 22-08-2016
को प्रस्तुत।

596/22.08.2016

True
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

सभी निवासी :- खरेली तह. सरदारपुर जिला धार

...प्रतिवादीगण
निगरानी नियम 56 (क) म.प्र. स्टॉम्प नियम 1942
के तहत

प्रार्थीगण की ओर से निवेदन है कि :-

यह कि, प्रार्थीगण माननीय कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प धार म.प्र. द्वारा प्रकरण कं. 08/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 23/07/2016 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी निम्न आधारों पर प्रस्तुत करता है :-

प्रकरण के तथ्य :-


यह कि, प्रतिप्रार्थीगण द्वारा अधिनस्थ कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प धार के समक्ष इकरारनामा दिनांक 20/08/2016 का उचित स्टाम्पित करने हेतु


A. 7199-Prat. 16 ^{3/11}

21-2-18

RD

आवेदक आधीवक्ता सूचना उपरांत
अनुपायित । आवेदक पक्ष व इसके आधीवक्ता
को तीन बार पुकार लगवाई गई, परन्तु
आवेदक पक्ष की ओर से कोई उपायित
नहीं हुआ । प्रकरण आवेदक पक्ष के सूचना
उपरांत अनुपायित रहने के कारण अदम
पैरवी में खारिज किया जाता है।




अदम